संख्या:4/2019/539/12-2-2019-1/2019

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2019

विषय: केन्द्र पोषित 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन आफॅ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर 'बीज विधायन संयन्त्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या:एस0एफ0/2284-टी/29-टी/कैबिनेट नोट/2.सीएन-एफपीओ-सीड प्रोड/2018-19 दिनांक 14 जनवरी, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा केन्द्र पोषित 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन आफॅ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर 'बीज विधायन संयन्त्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण' कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद की प्रमुख फसलों हेतु लगभग 55 लाख कुं0 प्रमाणित बीज की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता प्रमाणित बीजों के प्रयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। विगत वर्षों में कृषि विभाग द्वारा बीज प्रतिस्थापन दर के साथ प्रजाति प्रतिस्थापन में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं किन्तु अधिकाधिक कृषकों तक गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर ही बीजोत्पादन के नए कार्यक्रम तथा नवीन प्रजातियों के विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत भारत सरकार स्तर पर गठित 'ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज' के' एक्शन आन सीड सेक्टर' विषय पर दी गई संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण अंचलों में गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूरे देश में 500 बीज विधायन संयन्त्र स्थापना एवं बीज भण्डारण हेतु बीज गोदाम निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्र पोषित 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन आफॅ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमाणित बीज के उत्पादन/उपलब्धता हेतु बीज विधायन संयन्त्र स्थापना एवं बीज भण्डारण हेतु बीज गोदाम निर्माण के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 100 बीज विधायन संयन्त्र/गोदाम स्थापना के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा कार्यक्रम हेतु निर्गत गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश में इसका क्रियान्वयन एवं वित्तीय प्रबन्धन कृषि विभाग के माध्यम से 'दृष्टि-डीसेन्ट्रलाइज्ड रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सीड टेक्नोलॉजी इनीशिएिटव्स' के नाम से किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर गठित कृषक उत्पादक संगठनों, कृषक बीज उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संगठन, उत्पाद अभिरूचि समूह अथवा विश्वसनीय संस्थाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए गए है, के माध्यम से कराए जाने के दिशा-निर्देश दिए गए है। प्रदेश में इस कार्यक्रम को कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से कराया जायेगा।

4- प्रदेश में कृषि उत्पादन संगठनों के गठन का कार्य नाबार्ड द्वारा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रारम्भ किया गया। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक परियोजना 'इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ सिक्सटी थाउजेण्ड पल्सस विलेजज इन रेनफेड एरिया' अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपद एवं फतेहपुर, कानपुर देहात व इलाहाबाद कुल 10 जनपदों में 20 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एस0एफ0ए0सी0 के सहयोग से कराया गया। नाबार्ड एवं एस0एफ0ए0सी0 के सहयोग से गैर सरकारी संगठनों एवं प्रगतिशील कृषकों द्वारा भी कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लमेशन प्रोजेक्ट फेज-तृतीय (वर्ष 2009-2018) के अन्तर्गत बडे स्तर पर प्रदेश में कृषि उत्पादक संगठनों के गठन/संचालन का कार्य किया गया है। निगम द्वारा प्रथम चरण में 100 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया गया, जो लगभग 03 वर्ष से कार्य कर रहे है तथा द्वितीय चरण में 20 नए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है, जो 01 वर्ष से क्रियाशील है।

5- स्थानीय स्तर कार्यशील कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा प्रस्तावित बीज विधायन इकाइयों एवं बीज भण्डारण की सुविधाओं की स्थापना व प्रबंधन किया जाएगा तथा उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन, विधायन, पैकिंग का उचित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित कृषक उत्पादक संगठनों को कृषि विभाग/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के माध्यम से

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आधारीय बीज उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनके द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन, विधायन, भण्डारण एवं विपणन का कार्य संपादित किया जाएगा। इससे ग्रामीण अंचलों में बीज विधायन एवं भण्डारण की ढांचागत सुविधाएं सुदृढ होगी, गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन में वृद्धि होगी, कृषक उत्पादक संगठनों का बीज उत्पादन तकनीक एवं प्रबन्धन में क्षमतावर्धन होगी एवं स्थानीय स्तर पर कृषको को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होने से उनके उत्पादन एवं आय में वृद्धि होगी।

6- केन्द्र पोषित 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन आफॅ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर 'बीज विधायन संयन्त्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मुख्य उददेश्य निम्नवत हैं:-

- गुणवत्तायुक्त बीजोत्पादन एवं विपणन हेतु विधायन एवं भण्डारण की ढांचागत/आधारभूत सुविधाओं की ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- स्थानीय स्तर पर नवीन प्रजातियों के उन्नतशील प्रमाणित बीजों का उत्पादन, विधायन, भण्डारण एवं विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को प्रमाणित बीज उत्पादन, विधायन, भण्डारण एवं विपणन की गतिविधियों से जोडकर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ करना।
- कृषकों को स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना।
- कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन।

7- योजना के लाभार्थी प्रदेश में कार्यरत क्रियाशील कृषक उत्पादक संगठन होंगें, जो कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2002 के अन्तर्गत पंजीकृत होंगे तथा कंपनी का विधान एवं स्मृति-पत्र (आर्टिकल आफ एसोसिएशन एवं मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) बीज उत्पादन, विधायन एवं विपणन की अनुमति प्रदान करता हो तथा बीज विधायन संयन्त्र की स्थापना एवं बीज गोदाम निर्माण हेतु न्यूनतम 600 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध हो। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 01 एवं अधिकतम 05 कृषक उत्पादक संगठन को चयन मापदण्डों के आधार पर परीक्षण कर चयन की कार्यवाही की जायेगी। जनपद में सक्रिय/सक्षम कृषक उत्पादक संगठनों को सूचीबद्ध करते हुए पात्रता के मापदण्डों के आधार पर चयन की संस्तुति की जायेगी। योजना के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क) <u>जनपदीय स्तरीय समिति</u>:

जनपद में कृषि विभाग के प्रसार कार्यक्रमों के अनुमोदन, प्रगति, समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 'आत्मा गवर्निंग बोर्ड' द्वारा ही इस योजना के अन्तर्गत पात्र कृषक उत्पादक संगठनों के प्रस्तावों का परीक्षण, चयन की संस्तुति, चयनित कृषक उत्पादक संगठनों के कार्यो का अनुश्रवण, प्रगति समीक्षा आदि कार्य सम्पादित किया जायेगा। बीज विधायन संयंत्र एवं गोदाम स्थापना हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कृषक उत्पादक संगठनों के प्रस्तावों का स्थलीय सत्यापन करते हुए उप कृषि निदेशक द्वारा 'आत्मा गवर्निंग बोर्ड' के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। उपयुक्त प्रस्तावों पर 'आत्मा गवर्निंग बोर्ड' की संस्तुति सहित प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के विचारार्थ अग्रसारित किया जायेगा।

(ख) <u>राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति</u>:

कृषि निदेशालय स्तर पर राज्य स्तरीय कार्य योजना के निरूपण, बीज विधायन संयंत्र एवं गोदाम स्थापना हेतु जनपदों से संस्तुत कृषक उत्पादक संगठनों के प्रस्ताव की स्क्रीनिंग, योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, आदि का कार्य राज्य स्तरीय स्क्रीनंग समिति द्वारा सम्पादित किया जायेगा। समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी। इस हेतु समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम	पद
1	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
3	नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	सदस्य
4	नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	सदस्य
5	अपर निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	अपर निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	सदस्य
8	संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था	सदस्य
9	संयुक्त मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	सदस्य
10	प्रतिनिधि नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	सदस्य
11	अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य-सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) <u>राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति:</u>

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी। समिति द्वारा योजना के संचालन हेतु नीति निर्धारण, वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन, बीज विधायन संयंत्र एवं गोदाम स्थापना हेतु पात्र कृषक उत्पादक संगठनों का चयन, योजना की प्रगति समीक्षा एवं योजना के संचालन से आवश्यक बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम	पद
1	प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ	सदस्य
4	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ	सदस्य
5	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ	सदस्य
6	विशेष सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
8	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
9	प्रतिनिधि नाबार्ड	सदस्य
10	प्रतिनिधि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ	सदस्य
11	प्रतिनिधि राज्य अग्रणी बैंक	सदस्य
12	अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य-सचिव

8. केन्द्र पोषित 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन ऑफ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर 'बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण' कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक बीज विधायन संयंत्र व बीज गोदाम का निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा रूपये 60.00 लाख की वित्तीय सहायता का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 100 बीज विधायन संयंत्र एवं बीज गोदाम निर्माण हेतु कुल रूपये 6000.00 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जिसे चयनित कृषक उत्पादक संगठन को दो घटकों में निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगी:-

क	बीज विधायन संयंत्र स्थापना/बीज गोदाम हेतु भवन निर्माण (न्यूनतम 450 वर्ग मीटर)	रूपये 36.00 लाख
ख	बीज विधायन संयंत्र (1 टी0पी0एच/डीजल जनरेटर सेट (25 केवीए) का क्रय	रूपये 24.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भारत सरकार द्वारा बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं गोदाम निर्माण की अनुमानित लागत का विवरण उपलब्ध कराया गया है जिसे एक घटक की बचत को दूसरे घटक की कमी को पूर्ण करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा।

कृषक उत्पादक संगठन स्तर पर निर्माण कार्य एवं संयंत्र स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की संस्तुति जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी तथा समिति की संस्तुति के आधार पर ही कृषक उत्पादक संगठनों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी:-

1	उप कृषि निदेशक	अध्यक्ष
2	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
3	भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
4	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
5	उप सम्भागीय कृषि अधिकारी	सदस्य-सचिव

9. केन्द्र पोषित 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन ऑफ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर 'बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण' कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चयनित कृषक उत्पादक संगठन को भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित धनराशि रूपये 36.00 लाख को निम्नानुसार तीन किश्तों में निम्नवत उपलब्ध कराया जायेगा:-

1	प्रथम किश्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अग्रिम धनराशि	रू0 18.00 लाख (50 प्रतिशत)
2	द्वितीय किश्त (छत स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर)	रूपये 14.40 लाख (40 प्रतिशत)
3	तृतीय किश्त (निर्माण कार्य पूर्ण होने पर)	रूपये 03.60 लाख (10 प्रतिशत)

निर्माण कार्य हेतु भूमि की व्यवस्था चयनित कृषक उत्पादक संगठनों को अपने स्तर से करनी होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार की सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत देय नहीं होगी। संबंधित कृषक उत्पादक संगठन को निर्माण कार्य का मानचित्र एवं अनुमानित लागत का विवरण जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आधार पर निर्धारित किश्त की धनराशि चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>बीज विधायन संयंत्र (1 टी0पी0एच0)/डीजल जनरेटर सेट (25 केवीए) का क्रय:</u>

कृषक उत्पादक संगठन द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात बीज विधायन संयंत्र एवं डीजल जनरेटर व्यवस्था हेतु क्रय आदेश निर्गत होने के पश्चात 75 प्रतिशत अर्थात रूपये 18.00 लाख की धनराशि अग्रिम के रूप में जनपदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति की संस्तुति पर चयनित कृषक उत्पादक संगठन को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित कृषक उत्पादक संगठन अपने स्तर से मार्केट सर्वे एवं आकलन कर विश्वसनीय/प्रतिष्ठित फर्मो/कम्पनियों से उपरोक्त संयंत्रों के क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी को क्रयादेश निर्गत करने के पश्चात बीज विधायन संयंत्र/डीजल जनरेटर सेट की आपूर्ति होने पर जनपदीय समिति के सत्यापनोंपरान्त ही प्रथम किश्त की धनराशि का भुगतान कृषक उत्पादक संगठन द्वारा किया जायेगा।

द्वितीय किश्त की धनराशि 20 प्रतिशत अर्थात रूपये 4.80 लाख को बीज विधायन संयंत्र/डीजल जनरेटर सेट की स्थापना व क्रियाशील होने पर जनपदीय समिति की संस्तुति के आधार पर चयनित कृषक उत्पादक संगठन को उपलब्ध कराया जायेगा।

तृतीय किश्त के रूप में 05 प्रतिशत की धनराशि रूपये 1.20 लाख आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी को बीज विधायन संयंत्र संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं सन्तोषजनक ट्रायल रन के पश्चात जनपदीय समिति की संस्तुति पर चयनित कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

10. भारत सरकार की 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल' के घटक 'क्रिएशन ऑफ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण' कार्यक्रम को प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। कृषक उत्पादक संगठनों का चयन पात्रता हेतु संलग्नक-1 में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर जनपद, कृषि निदेशालय एवं शासन स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जायेगा।

चयनित कृषक उत्पादक संगठन द्वारा रूपये 100/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का सदुपयोग निर्धारित कार्य हेतु ही किया जायेगा। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि का दुरूपयोग सिद्ध होने की दशा में राज्य सरकार को प्रदत्त धनराशि को वसूली करने का अधिकार होगा।

11. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शतप्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। अत: इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का व्यय भार नहीं पडेगा। चयनित कृषक उत्पादक संगठनों को कार्यक्रम अन्तर्गत बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण हेतु देय धनराशि प्रस्तर-10 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति, क्रियान्वयन पद्धति, कृषकों की आय एवं सामाजिक व आर्थिक स्तर में बदलाव आदि बिन्दुओं पर योजना का थर्ड पार्टी मूल्यांकन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के माध्यम से कराया जायेगा। संस्था द्वारा समस्त पहलुओं का विश्लेषण करते हुए सम्पूर्ण योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

13. भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार की गाइड लाइन में संशोधन के आधार पर शासन की स्वीकृति से किया जायेगा।

14. अत: भारत सरकार की सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के घटक क्रिएशन ऑफ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमाणित बीज के उत्पादन/उपलब्धता हेतु बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण कार्यक्रम को प्रदेश में 'दृष्टि-डीसेन्ट्रलाइज्ड रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सीड टैक्नालॉजी इनीशिएटिवस' के नाम से संचालित किया जायेगा।

समस्त निर्माण कार्य चयनित कृषक उत्पादक संगठन द्वारा स्वयं की देख-रेख में कराया जायेगा। कृषक उत्पादक संगठन को अनुमन्य धनराशि उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक चरण का कार्य पूर्ण होने पर ही आगामी किश्त की धनराशि जनपदीय समिति की संस्तुति के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।

15. भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार की गाइड लाइन में संशोधन के आधार पर शासन की स्वीकृति से किया जायेगा।

16. अत: भारत सरकार की 'सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के घटक क्रिएशन ऑफ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमाणित बीज के उत्पादन/उपलब्धता हेतु बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण कार्यक्रम को प्रदेश में 'दृष्टि-डीसेन्ट्रलाइज्ड रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सीड टैक्नालॉजी इनीशिएटिव' के नाम से संचालित किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 4/2019/539(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
3. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
4. निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, लघु कृषक व्यापार संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. राज्य अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 4/2019/539/12-2-2019-1/2019 दिनांक 21 फरवरी, 2019

का संलग्नक

कृषक उत्पादक संगठनों के चयन हेतु निर्धारित पात्रता के माप दण्ड

क्र0सं0	माप दण्ड
1	कृषक उत्पादन संगठन (एफ0पी0ओ0) कम्पनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2002 (यथासंशोधित 2013) के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
2	कम्पनी का विधान/नियम (आर्टिकिल आफ एसोसियेशन/मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन) उन्हे बीज उत्पादन, विधायन एवं विपणन की अनुमति प्रदान करता हो।
3	कम्पनी के पास स्वयं के स्वामित्व की अथवा न्यूनतम 20 वर्ष के रजिस्टर्ड किरायेनामें पर उपयुक्त स्थल पर 600 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध हो।
4	कम्पनी की न्यूनतम प्राधिक पूंजी (Authorized Capital) रूपये 5.00 लाख एवं प्रदत्त पूंजी (Paid up Capital) रू0 2.00 लाख हो।
5	कृषक उत्पादक संगठन का वार्षिक टर्न-ओवर रू0 10.00 लाख होना चाहिए।
6	कम्पनी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में खाता हो, जो कि कम्पनी द्वारा उनके शेयरधारकों में से प्राधिकृत किन्ही दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित हो।
7	कम्पनी की बोर्ड बैठकें एवं वार्षिक सामान्य बैंठक (ए0जी0एम0) नियमित रूप से हो रही हो।
8	कम्पनी का वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा के लिए आन्तरिक आडिटर एवं वैधानिक आडिटर बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किए गए हों।
9	कम्पनी में कम से कम 250 शेयर धारक हो, जिन्हे शेयर प्रमाण पत्र निर्गत/हस्तान्तरित किए जा चुके हों तथा हस्तान्तरित शेयर को कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो।
10	कम्पनी के वार्षिक रिटर्न कम्पनी रजिस्ट्रार के यहॉ नियिमित रूप से दाखिल किए जा रहे हों।
11	कम्पनी का पैन संख्या एवं टिन संख्या जारी हो (जी0एस0टी0 में पंजीकरण)
12	कृषिगत व्यवसायों के संचालन हेतु संबंधित विभागों से बीज व्यवस्था हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त किया हो अथवा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो।
13	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्वयं का अथवा किराये पर स्थापित हो।
14	भारत सरकार/कम्पनी रजिस्ट्रार के यहॉ से प्रतिबंधित (Debar) न किया गया हो अथवा किसी प्रकार की अनियमितता संबंधी कोई वाद न्यायालय में लंबित न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	कम्पनी द्वारा भारत सरकार व कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहित बीज विधायन संयंत्र स्थापना एवं गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव कृषि विभाग को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन संबंधित एफ0पी0ओ0 के बोर्ड की बैठक में किया गया हो।
16	कम से कम दो वर्ष पुराना पंजीकृत एवं लाभ अर्जित कर रहा (Profit making) हो।
17	पूर्व में बीज उत्पादन, विधायन एवं विपणन का अनुभव रखने वाले कृषक उत्पादन संगठनों (एफ0पी0ओ0) को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
18	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 वार्षिक बीज विधायन संयंत्र का व्यापार मॉडल प्रस्तुत करेगा, जिसमें बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, बीज भण्डारण व मार्केटिंग की पूर्ण श्रंखला (Supply Chain/Value Chain) को समाहित करना होगा।

<u>पात्रता निर्धारण के माप दण्ड हेतु अंक निर्धारण:</u>

क्र0सं0	माप दण्ड	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
1	पात्रता निर्धारण के माप दण्डों में से क्रम संख्या-1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14 एवं 15 अनिवार्य अर्हतायें हैं जिनके पूर्ण होने की दशा में अधिकतम अंक 20 दिये जायेंगे। कुल अंक-20	20	
	उपरोक्त के साथ निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताओं में से आवेदक कम्पनी की परफारमेंस के आधार पर प्राप्त दिया जायेगा।		
2	कम्पनी की न्यूनतम प्राधिकृत पूंजी (Authorized Capital) रूपये 5.00 लाख हो। कुल अंक-10		
2.1	रूपये 5.00 लाख से 7.5 लाख तक प्राधिकृत पूंजी (अथवा प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि हेतु आवेदन किया हो)	6	
2.2	रूपये 7.51 से 10.00 लाख तक प्राधिकृत पूंजी(अथवा प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि हेतु आवेदन किया हो)	8	
2.3	रूपये 10.00 लाख से अधिक प्राधिकृत पूंजी (अथवा प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि हेतु आवेदन किया हो)	10	
3	कम्पनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी (Paid up Capital) रूपये 20.00 लाख हो। कुल अंक-10		
3.1	रूपये 2.00 लाख से 3.00 लाख तक प्रदत्त पूंजी	6	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.2	रूपये 3.01 लाख से 5.00 लाख तक प्रदत्त पूंजी	8	
3.3	रूपये 5.00 लाख से अधिक प्रदत्त पूंजी	10	
4	कृषक उत्पादक संगठन का वार्षिक टर्न ओवर रूपये 10.00 लाख होना चाहिए। कुल अंक-10		
4.1	रूपये 10.00 लाख से 12.50 लाख का वार्षिक टर्न ओवर	6	
4.2	रूपये 12.51 लाख से 15.00 लाख का वार्षिक टर्न ओवर	8	
4.3	रूपये 15.00 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर	10	
5	कम्पनी में कम से कम 250 शेयर धारक हों, जिन्हे शेयर प्रमाण पत्र निर्गत/हस्तान्तरित किए जा चुके हों तथा हस्तान्तरित शेयर को कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो। कुल अंक-10		
5.1	250 से 500 शेयर धारक	4	
5.2	501 से 750 शेयर धारक	6	
5.3	751 से 1000 शेयर धारक	8	
5.4	1000 से अधिक शेयर धारक	10	
6	कृषिगत व्यवसायों के संचालन हेतु संबंधित विभागों से बीज व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति (License) प्राप्त किया हो अथवा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो। कुल अंक-10		
6.1	बीज व्यवसाय लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो।	05	
6.2	बीज व्यवसाय लाइसेन्स कम्पनी के पास उपलब्ध हो	10	
7	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्वयं का अथवा किराये पर स्थापित हो। कुल अंक-10		
7.1	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय किराये पर स्थापित है	05	
7.2	पंजीकृत कार्यालय कम्पनी का स्वयं का है	10	
8	कम से कम दो वर्ष पुराना पंजीकृत एवं लाभ अर्जित कर रहा (Profit making) हो। कुल अंक-10		
8.1	02 से 03 वर्ष पुराना पंजीकृत हो	05	
8.2	03 वर्ष से अधिक पुराना पंजीकृत हो	10	
9	पूर्व में बीज उत्पादन, विधायन एवं विपणन का अनुभव रखने वाले कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। कुल अंक-		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	10		
9.1	बीज उत्पादन, विधायन एवं विपणन का अनुभव नहीं है	0	
9.2	बीज उत्पादन, विधायन एवं विपणन का अनुभव है	10	
10	प्रत्येक एफ0पी0ओ0, वार्षिक बीज विधायन संयंत्र का व्यापार मॉडल प्रस्तुत करेगा, जिसमें बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, बीज भण्डारण व मार्केटिंग की पूर्ण श्रंखला (Supply Chain/Value Chain) को समाहित करना होगा। कुल अंक-10		
10.1	व्यापार मॉडल नहीं है	0	
10.2	व्यापार मॉडल है	10	
	योग	100	

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।